

:: आदेश ::

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशालय के आदेश क्रमांक: क्रमांक:नर्सिंग/पदो./न.अ.-1/एफ- /2010/69 दिनांक: 19.02.10 के द्वारा नर्सिंग अधीक्षक-द्वितीय (पुरुष/महिला)के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का चयन नर्सिंग अधीक्षक-प्रथम के पद पर वर्ष 2007-08 से 2009-10 में किया जाकर पदोन्नति किया गया है का पदस्थापन इनके नाम के सम्बन्धित अंकित स्थानों का तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	रामप्रसाद सोन	पीएमओ बांरा	पीएमओ बांरा
2	किशन लाल खत्री	पीएमओ राजसमंद	पीएमओ राजसमंद
3	भंवर लाल वर्मा	टी0बी0चि0बडी,उदयपुर	पीएमओ झालावाड
4	पुखराज गर्ग	ए0जी0एच0जोधपुर	म0गा0चि0जोधपुर
5	रूपराम सोलंकी	ए0जी0एच0जोधपुर	म0गा0चि0जोधपुर
6	श्रीकृष्ण गोयल	पीएमओ ब्यावर	पीएमओ ब्यावर
7	लालाराम मीणा	पीएमओ पाली	पीएमओ पाली
8	शंकर लाल यादव	पीएमओ बांसवाडा	पीएमओ सिरोही
9	कन्हैया लाल कुलदीप	स0मा0चि0जयपुर	पं0दीनदयाल उपा0रा0चि0गणगौरी बाजार, जयपुर
10	धन्ना लाल गमेती	एम0बी0एच0उदयपुर	से0चि0हिरणमगरी उदयपुर
11	श्यामसुन्दर गरासिया	पीएमओ डूंगरपुर	पीएमओ डूंगरपुर
12	केशवलाल स्वर्णकार	एम0बी0एस0चि0कोटा	जे0के0लान चि0 कोटा
13	केहरी सिंह	पीएमओ भरतपुर	से0चि0सेठी कालोनी जयपुर
14	साराजेराल्ड जोसफ	म0गां0चि0जोधपुर	पीएमओ जैसलमेर
15	शिरीन होप	रा0चि0किशनगढ अजमेर	रा0चि0डीडवाना नागौर
16	कृष्णा माथुर	एएनएनटीसी सलूमबर, उदयपुर	पीएमओ जालौर

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ.7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक: 20.6.2001 के परिपेक्ष में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक: 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान उत्पन्न हुई हों तो पदोन्नति अगले 5 वर्ष तक रूक जावेगी, इसकी सूचना निदेशालय को भिजवावें।

उक्त पदोन्नत कर्मचारियों को वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 24 ए उप नियम (11 ए) के अनुसार चयनित वर्ष की अंतिम तिथि से नोशनल आधार पर किया जावेगा तथा कोई एरियर देय नहीं होगा।

उक्त कर्मचारियों को नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक: 10.03.2010 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण करना होगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/पदो./न.अ.-I/एफ- /2010/7/ दिनांक: 19/2/2010
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर/
- 2-पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
- 3-संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
- 4-संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
- 5-संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 6-संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 7-सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8-आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर